न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46 / 18	03.04.2018	11.6.19

1. कुलवन्त
2. दीपक पुत्रान श्री छोटूराम जाति जाटान निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– वादी

:: बनाम ::

1. श्रीराम पुत्र हरलाल जाति जाट ग्राम हरसौली
2. धर्मबीर
3. छोटूराम
4. मनोहर
5. राजेश पुत्रान श्रीराम
6. प्रेम
7. मुन्नी पुत्रीयान श्रीराम जाति जाटान निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
8. बी.आर.के.जी.बी. शाखा हरसौली जरिये शाखा प्रबंधक हरसौली
9. श्रीमान उप पंजियक महोदय हरसौली तहसील कोटकासिम, जिला–अलवर राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राज0 काश्ताकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थितः–

1. श्री जयप्रकाश चौधरी अभिभाषक वादी
2. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक प्रतिवादीगण

प्रार्थी ने मय अधिवक्ता इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य का पेश किया कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 684 / 0.3300, 1882 / 0.3400, 2159 / 0.3800, 2291 / 0.4800, 2361 / 0.3300 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.8600 हैक्टयर वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) में स्थित है। विवादित आराजीयात मिन वादीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थीगण के हक हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी सं0 1 मिन प्रार्थीगण का सगा दादाजी है। परिवार का कर्ता–धर्ता होने के कारण विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम ही दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 काफी जईफ उम्र का वयक्ति है जो अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है दीगर लोगो के बहकावे मे आकर विवादित आराजीयात को बेचान कर मिन प्रार्थीगणो को उनकी दादालाई आराजीयात के उपयोग

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपभोग से वंचित करना चाहता है। जबकि विवादित आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे से अप्रार्थी संख्या 3 का 1/7 भाग है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 के 1/7 भाग मे से मिन प्रार्थीगण अपने 2/3 भाग पर अप्राथीगणो के साथ सामलात मे ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मिन प्रार्थीगणो से दिनांक 02.04.2018 को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि विवादित आराजीयात समस्त को दीगर लोगो को बेचान कर तुम्हे तुम्हारी दादालाई आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंछित कर दूंगा। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गया तो मिन अप्रार्थीगण को अजहद हानि होगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मिन प्रार्थीगण पाबन्द कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 6, 7 ने दिनांक 11.06.2018 को मय अभिभाषक अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे अंकित किया गया कि प्रार्थीगण ने आराजी मुतदाविया को हिन्दू मुश्तर्का खानदान व दादालाई की होना गलत दर्ज किया है तथा सजरे से कोई संबंध वाद प्रकरण का नही है। दरअसल वादीगण के पिता छोटूराम व वादीगण का ताउ धर्मवीर के विरूद्ध प्रतिवादी श्रीराम ने जो गुवाडे की भूमि बांटकर अपने सभी पुत्रो को दी थी, उसमे से रास्ता भी निकालकर दिया था। जिस रास्ते को छोटूराम व धर्मवीर द्वारा रोका गया। मिन प्रतिवादी स्वस्थ्य व्यक्ति है जो अपना भला बुरा सोचने समझने की शक्ति रखता है तथा अपने निजी कार्य स्वयं करता है। प्रतिवादी श्रीराम की स्वयं खरीदशुदा आराजी है तथा मुझ प्रतिवादी श्रीराम के जीवित रहते हुए व काबिज व दाखिल बतौर खातेदार रहते हुए, अन्य किसी अर्थात पुत्रो, पुत्रियो व उनके वारिसान का कोई सरोकार व संबंध नही है। चूंकि मिन प्रतिवादी श्रीराम ने स्वयं ने दर्ज दावा आराजी को पैदा किया है। वादीगण का मुतदीविया आराजी मे प्रतिवादी श्रीराम के जीवित रहते हुए नही है। प्रतिवादी श्रीराम के जीवित रहते हुए, प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र दायर करने का अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान वकुलाए सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराया और कहा कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 684/0.3300, 1882/0.3400, 2159/0.3800, 2291/0.4800, 2361/0.3300 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.8600 हैक्टयर वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) में स्थित है। विवादित आराजीयात मिन वादीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थीगण के हक हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी सं0 1 मिन प्रार्थीगण का सगा दादाजी है। परिवार का कर्ता–धर्ता होने के कारण विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम ही दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 काफी जईफ उम्र का वयक्ति है जो अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है दीगर लोगो के बहकावे मे आकर विवादित आराजीयात को बेचान कर मिन प्रार्थीगणो को उनकी दादालाई आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहता है। जबकि विवादित आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे से अप्रार्थी संख्या 3 का 1/7 भाग है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 के 1/7 भाग मे से मिन प्रार्थीगण अपने 2/3 भाग पर अप्राथीगणो के साथ सामलात मे ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मिन प्रार्थीगणो से दिनांक 02.04.2018 को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि विवादित आराजीयात समस्त को दीगर लोगो को बेचान कर तुम्हे तुम्हारी दादालाई आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंछित कर दूंगा। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गया तो मिन अप्रार्थीगण को अजहद हानि होगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मिन प्रार्थीगण पाबन्द कराने का

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अधिकारी है। प्रार्थी का केश प्राईमाफेसाई साबित है। जब प्रार्थी का प्राईमाफेसाई साबित है तो सुविधा का सन्तुलन एव नापूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना भी प्रार्थी के हक मे साबित होती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण ने आराजी मुतदाविया को हिन्दू मुश्तर्फा खानदान व दादालाई की होना गलत दर्ज किया है तथा सजरे से कोई संबंध वाद प्रकरण का नही है। दरअसल वादीगण के पिता छोटूराम व वादीगण का ताऊ धर्मवीर के विरूद्ध प्रतिवादी श्रीराम ने जो गुवाडे की भूमि बांटकर अपने सभी पुत्रो को दी थी, उसमे से रास्ता भी निकालकर दिया था। जिस रास्ते को छोटूराम व धर्मवीर द्वारा रोका गया। मिन प्रतिवादी स्वस्थ्य व्यक्ति है जो अपना भला बुरा सोचने समझने की शक्ति रखता है तथा अपने निजी कार्य स्वयं करता है। प्रतिवादी श्रीराम की स्वयं खरीदशुदा आराजी है तथा मुझ प्रतिवादी श्रीराम के जीवित रहते हुए व काबिज व दाखिल बतौर खातेदार रहते हुए, अन्य किसी अर्थात पुत्रो, पुत्रियो व उनके वारिसान का कोई सरोकार व संबंध नही है। चूंकि मिन प्रतिवादी श्रीराम ने स्वयं ने दर्ज दावा आराजी को पैदा किया है। वादीगण का मुतदीविया आराजी मे प्रतिवादी श्रीराम के जीवित रहते हुए नही है। प्रतिवादी श्रीराम के जीवित रहते हुए, प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र दायर करने का अधिकार नही है। मिन अप्रार्थी की विवादित आराजी खरीदशुदा आराजी है। जिसमे किसी के भी हक हकूक निहित नही हैं। प्रार्थी अपने तीनो बिन्दु साबित करने मे असफल रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे सलग्न दस्तावेज खसरा मिलान क्षेत्रफल से वर्तमान खसरा नं0 684 गत खसरा नं0 623 वर्तमान खसरा नं0 1882 गत खसरा नं0 1811, वर्तमान खसरा नं0 2159 गत खसरा नं0 2095, वर्तमान खसरा नं0 2291 गत खसरा नं0 2194, वर्तमान खसरा नं0 2361 गत खसरा नं0 2283 है। मूल वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्बत् 2070–2073 मे वादभूमि अप्रार्थी श्रीराम के नाम खातेदार दर्ज है, सलंग्न दस्तावेज बैयनामा दिनांक 31.12.59 द्वारा वादभूमि गत खसरा नं0 502, 623, 733, 1811, 2095, 2144, 2287 अप्रार्थी श्रीराम की खुद खरीदशुदा है। इस प्रकार वादभूमि अप्रार्थी श्रीराम की खुद खरीदशुदा है जिसका उपयोग उपभोग, अन्तरण इत्यादि करने हेतु श्रीराम अपने जीवनकाल मे स्वतन्त्र है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक दादालाई आराजी मे पुत्र व पौत्र का जन्म से अधिकार होता है, किन्तु खातेदार की खुद पैदाकर्ता खरीदशुदा भूमि मे वारिसान का जन्म से हक निहित नही होता है। वादभूमि पैतृक सम्पत्ति नही है, इससे प्रार्थीगण का जन्म से हक नही है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने मे सफल नही रहे है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है तो प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूर्णियक्षति नही हो रही है। सुविधा के सन्तुलन बिन्दु पर प्रार्थी का वादभूमि मे कोई हक हिस्सा नही है तो वादभूमि के अन्तरण से प्रार्थी को कोई असुविधा नही है। वरन् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने से अप्रार्थी अपनी खुद पैदाकर्ता खरीदशुदा आराजी के स्वतन्त्र उपभोग अन्तरण से जिसका उसे विधिक अधिकार है से बाधित हो रहा है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे ना पाया जाकर अप्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी साबित करने मे असफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित ना होने पर खारिज किया जाता है। दिनांक 04.04.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

निर्णय आज दिनांक 11.6.19 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया

राजकुमार कस्वा
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner